# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2016/156 दायर दिनांक 15.11.2016

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. बालुराम पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवासी आसलसर तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. सालगराम पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवासी आसलसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0<br>2. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धनकोली<br>3. नायब तहसीलदार मौलासर |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा – 88 R.T.Act.**

**उपस्थितः–**

1. श्री समंदर सिंह, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री जयवीरसिंह राठौड अधिवक्ता सं0 01

## –:: निर्णय ::–

दिनांक **27.07.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी सं0 01 दोनों सगे भाई है। वाके सरहद आसलसर में खसरा सं0 146 रकबा 129 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि अवस्थित है। जिसमें 1/2 की खातेदारी स्व0 गुमानाराम जी के परिवार की है तथा 1/2 भाग की खातेदारी डालूराम पुत्र मानाराम की है। इस प्रकार वादी बालूराम और प्रतिवादी सालगराम पुत्र गुमानाराम की हिस्से की 1/2 भाग में 64 बीघा 17 बिस्वा भूमि होती है तथा इसी प्रकार अन्य 1/2 की भूमि सह खातेदार बाबा परिवार डालूराम जी की होती है जो 64 बीघा 18 बिस्वा भूमि है।

इस प्रकरण में डालूराम जी से कोई विवाद नही है उनकी 1/2 खातेदारी 64 बीघा 18 बिस्वा के संबंध में इस प्रकरण में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस प्रकरण में तो स्व0 गुमानाराम जी की 1/2 भूमि 64 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी उनके दोनों पुत्रों यानि वादी व प्रतिवादी दोनों भाईयों के मध्य ठीक से दर्ज नहीं होने मात्र का विवाद है।

वर्तमान रिकार्ड के मुताबिक सालगराम जी की 22 बीघा एवं शेष 42 बीघा 17 बिस्वा मे फिर से सालगराम का 1/2 हिस्सा यानि 43 बीघा 08 बिस्वा भूमि उल्लेखित हो गई है जिसका कारण निम्न रहा हैः–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2016/150
दायर दिनांक 15.11.2016, निर्णय दिनांक 27.07.2017
बालूराम बनाम सालगराम, वगैरा।

पिताजी गुमानाराम जी के जीवनकाल में सालगराम जी ने बंटवारा का दावा किया था उस वक्त में दो भाई सालगराम व बालूराम तथा एक पिता तीन व्यक्ति जीवित थे जिससे एक तिहाई हिस्सा यानि 22 बीघा भूमि सालगराम जी की पृथक कर दी तथा राजस्व रिकार्ड मे अंकित हो गई शेष 42 बीघा 17 बिस्वा पिता के नाम दर्ज रह गई। जिसमें कोई विवाद नहीं था। किन्तु कालान्तर में पिताजी का देहान्त हो गया और राजस्व कर्मचारियों ने पक्षकारों को पूछे बिना और जानकारी लिये बिना पिताजी के नाम के स्थान पर दोनों पुत्रो सालग, बालू के नाम विरासत म्यूटेशन भर दिया गया। जिससे प्रतिवादी सालगराम के नाम 22 बीघा और 21 बीघा 08 बिस्वा कुल 43 बीघा 08 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड में अंकित हो गई तथा अन्य भाई बालूराम के हिस्से में 21 बीघा 09 बिस्वा ही रह गई।

वादी व प्रतिवादी दोनों सगे भाई है तथा पिताजी की जमीन के दो हिस्से बराबर–बराबर हो इस बात के लिए दोनों ही पक्षकार सहमत है तथा सही एवं वास्तविक व विधिक खातेदारी वादी की 1/2 तथा प्रतिवादी की 1/2 दर्ज हो इसी आशय की घोषणा का यह वाद प्रस्तुत है।

प्रार्थना वादी है कि ग्राम आसलसर की सरहद में अवस्थित कृषि भूमि खेत खसरा सं0 146 रकबा 129 बीघा 15 बिस्वा की 1/2 यानि 64 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी के दो बराबर बराबर खातेदार वादी एवं प्रतिवादी होते है इस आशय की घोषणा फरमाते हुए उक्त आधा हिस्से का 1/2 यानि 32 बीघा 08 बिस्वा की खातेदारी वादी बालूराम तथा उक्त 1/2 हिस्सा यानि 32 बीघा 09 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादी सालगराम की घोषित की जावें तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज फरमाई जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 02 व 03 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादी सं0 01 ने राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा अनुसार ग्राम आसलसर की सरहद में अवस्थित कृषि भूमि खेत खसरा सं0 146 रकबा 129 बीघा 15 बिस्वा की 1/2 यानि 64 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी के दो बराबर बराबर खातेदार वादी एवं प्रतिवादी होते है इस आशय की घोषणा फरमाते हुए उक्त आधा हिस्से का 1/2 यानि 32 बीघा 08 बिस्वा की खातेदारी वादी बालूराम तथा उक्त 1/2 हिस्सा यानि 32 बीघा 09 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादी सालगराम की घोषित की जावें तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज फरमाई जावें।

पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है अतः जरिये राजीनाम दावा डिक्री सादिर किया जाता

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2016 / 156
दायर दिनांक 15.11.2016, निर्णय दिनांक 27.07.2017
बालूराम बनाम सालगराम, वगैरा।

## आदेश

हस्ब दावा जरिये राजीनामा डिक्री सादिर कर सरहद ग्राम आसलसर की सरहद में अवस्थित कृषि भूमि खेत खसरा सं0 146 रकबा 129 बीघा 15 बिस्वा की 1/2 भाग यानि 64 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी में वादी का 1/2 हिस्सा अर्थात 32 बीघा 08 बिस्वा तथा प्रतिवादी सं0 01 का 1/2 हिस्सा अर्थात 32 बीघा 09 बिस्वा घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रखा जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **27.07.2017** को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

# डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2016/156**

दायर दिनांक **15.11.2016**

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. बालुराम पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवासी आसलसर तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. सालगराम पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवासी आसलसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0<br>2. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धनकोली<br>3. नायब तहसीलदार मौलासर |

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी, अन्तर्गत धारा–88 R.T.Act.**

दिनांक **27.07.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री समंदरसिंह, अधिवक्ता, वादी व श्री जयवीर सिंह राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा जरिये राजीनामा डिक्री सादिर कर सरहद ग्राम आसलसर की सरहद में अवस्थित कृषि भूमि खेत खसरा सं0 146 रकबा 129 बीघा 15 बिस्वा की 1/2 भाग यानि 64 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी में वादी का 1/2 हिस्सा अर्थात 32 बीघा 08 बिस्वा तथा प्रतिवादी सं0 01 का 1/2 हिस्सा अर्थात 32 बीघा 09 बिस्वा घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रखा जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **27.07.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | –<br>– | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner